न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री श्वेता कोचर आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
07/2016	प्रा0पत्र 111, 128 LRA	22.03.2016	21.05.2019

इन्द्रसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी ख्याली तहसील वा जिला चूरू

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. रामकुवार पुत्र मालाराम जाति दरोगा निवासी लादड़िया, चूरू तहसील वा जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता श्री भीमसिंह शेखावत प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री नन्दराम राहड़ अप्रार्थी सं. 1

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की एक कृषि भूमि ख.नं. 538/283 तादादी 10 बीघा रोही मौजा लादड़िया तहसील वा जिला चूरू में स्थित है जो प्रार्थी ने अप्रार्थी से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 07.07.05 उप पंजीयक चूरू द्वारा खरीदशुदा है जिसका अलग खाता किया जा चुका है। यह कि प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के उतरी तरफ अप्रार्थी की शेष भूमि ख.नं. 243 तादादी 19 बीघा व ख.नं. 283 तादादी 14.05 विश्वा है कुल 32 बीघा 8 विश्वा स्थित है। यह कि प्रार्थी की भूमि अप्रार्थी की कृषि भूमि के दक्षिण तरफ स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमियों के मध्य सींव पड़ी हुई थी। प्रार्थी का गांव ख्याली है, जबकि उसकी कृषि भूमि गांव लादड़िया तहसील चूरू में स्थित है। इसलिए प्रार्थी हर वक्त अपनी भूमि की देखभाल नहीं कर पाया, जिसका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी वा अप्रार्थी के खेत के बीच की सींव को नष्ट कर सीमा चिन्ह खत्म कर दिये हैं तथा हर साल प्रार्थी की कुछ कृषि भूमि की ओर काश्तकार प्रार्थी को नुकसान पहुंचाता रहा है। प्रार्थी दूसरे गांव का होने से हर वक्त खेत में नहीं रह पाता परन्तु अपनी कृषि भूमि को काश्त करने के दौरान, काश्त लावणी आदि करने के वक्त ही आ पाता है जिसका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी सं. 1 ने सीमाचिन्ह खत्म कर दिये हैं। इसलिए प्रार्थी की कृषि भूमि की उतरी सीमा का सीमाज्ञान करवाने वा उसकी पत्थरगढी के लिए यह आवेदन पेश किया जा रहा है। पत्थरगढी के लिए आवश्यक खर्चा प्रार्थी वहन करने के लिए तैयार है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह कि प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि की उतरी सीमा का ज्ञान करवाने बाबत तहसीलदार महोदय को आवेदन किया था जिसके अनुसरण में तहसीलदार महोदय ने सीमाज्ञान करवाने के लिए हल्का पटवारी को सीमाज्ञान करवाने का आदेश दिया जिसके अनुसरण में हल्का पटवारी ने दिनांक 13.03.16 को मौके पर जाकर सीमा ज्ञान करवाना चाहा परन्तु अप्रार्थी ने हल्का पटवारी को जरीब नहीं चलाने दी तथा पटवारी को निकाल दिया, जिससे सीमाज्ञान नहीं हो सका। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। यह कि वादगत कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित गांव लादड़िया में स्थित है इसिलए श्रवणाधिकार प्राप्त हैं तथा प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खेत ख.नं. 538/283 तादादी 10 बीघा रोही लादड़िया तहसील चूरू की उतरी सीमा व अप्रार्थी सं. 1 के खेत ख.नं. 243, 283 रोही मौजा लादड़िया तहसील वा जिला चूरू के दक्षिण सीमा का सीमा ज्ञान करवाया जाकर दोनों खेतों के मध्य पत्थरगढी करवाई जाकर कब्जा दिलवाया जावे। प्रार्थी पत्थरगढी का खर्चा वहन करने के लिए तैयार है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिए सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री नन्दराम राहड़ एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादगत कृषि भूमि की मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि उपरोक्त अनुवानी प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा गलत रूप से हकीकत के विपरीत वास्तविक तथ्य छिपाते हुए गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी का इस भूमि खेत ख.नं. 538/283 में कोई कब्जा काश्त नहीं है। खेत ख.नं. 538/283 में अप्रार्थी रामकुमारसिंह का रिहायशी मकान है। अप्रार्थी मय परिवार रिहायश करता चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा गलत व कूटरचित दस्तावेज बना कर यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध पेश किया गया है और न ही प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने व कब्जा प्राप्त करने की नीयत से गलत तथ्य दर्ज कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त भूमि पर वास्तविक कब्जा व काश्त बाबत रिपोर्ट माननीय न्यायालय के आदेशानुसार मौका रिपोर्ट न्यायहित में मंगवाई जानी आवश्यक है ताकि उक्त पत्रावली पर वास्तविक स्थिति आ सके व समुचित न्याय हो सके। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि पर पत्थरगढी बाबत अनुतोष चाहा है जबकि विवादित भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 रामकुमारसिंह का कब्जा व काश्त है व मौके पर मय परिवार पक्के मकान वर्षों से रिहायश कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट पत्रावली पर आये बिना न्यायहित में पत्थरगढी का आदेश नहीं दिया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त विवादित भूमि ख.नं. 538/283 की मौका रिपोर्ट मंगवाई जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र की प्रति वकील प्रार्थी को जवाब हेतु दिलवाई गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जिसकी प्रति वकील अप्रार्थी सं. 1 को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी ने जवाब प्रा0पत्र में अंकित किया कि अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सभी तथ्य मनगड़न्त रूप से गलत अंकित किये हैं। वादी–अप्रार्थी द्वारा विवादित कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

विक्रय पत्र द्वारा खरीदशुदा है। प्रार्थी द्वारा यह कहना कि उसका विवादित भूमि पर कब्जा है सर्वथा गलत लिखा है। विक्रय पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि कब्जा सम्भला दिया गया है। वादी–अप्रार्थी ने यह कृषि भूमि प्रार्थी से ही खरीदी थी। इसलिए रामकुमारसिंह का कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मौका दिखाया जाना आवश्यक नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। इस दौरान वकील उभयपक्ष द्वारा सूची के संलग्न दस्तावेजात पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिसमें वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने जाहिर किया कि प्रार्थी धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट के तहत पत्थरगढी के जरिये वादगत कृषि भूमि ख.नं. 538/283 पर कब्जा लेना चाहते हैं जबकि कब्जा के लिए इनको धारा 183 आर.टी.ए. के तहत आना चाहिए था। धारा 111, 128 के तहत केवल सीमाज्ञान व पत्थरगढी ही हो सकती है, कब्जा प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि की फर्जी रजिस्ट्री करवा ली। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी/प्रतिवादी की रिहायशी पक्की ढाणी बनी हुई है। प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 को बेदखल करना चाहता है। इसलिए मौका स्थिति पत्रावली पर लाई जानी आवश्यक है। अतः मौका कमिश्नर से रिपोर्ट ली जावे। अप्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने यह जमीन अप्रार्थी सं. 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर विक्रेता से कब्जा प्राप्त किया है जिसका अंकन बैनामा में है। इसिलए कब्जा हमारा ही माना जावेगा। प्रार्थी/प्रतिवादी की ढाणी इस भूमि में हमारे द्वारा खरीदने से पूर्व बनी हुई है एवं ढाणी को खरीद से अलग रखा है एवं आज भी हमने ढाणी प्राप्ति की मांग नहीं की है। हम तो हमारी सींव की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं तथा हमारा कब्जा से अर्थ है कि नपती में जो हमारी भूमि इनकी तरफ निकले, उस पर हमें कब्जा दिलाया जावे। हमें इनकी ढाणी से इन्कार नहीं है तो मौका रिपोर्ट की क्या आवश्यकता है। अतः प्रा0पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रा0पत्र, पेश दस्तावेज एवं वकील उभयपक्ष द्वारा की गई बहस के तथ्यों का अवलोकन एवं मनन किया जाकर प्रार्थी/प्रतिवादी का मूल प्रार्थना पत्र सम्मरी प्रोसिडिंग का होने से मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने पर मौका रिपोर्ट प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब में अंकित किया कि प्रा0पत्र की मद सं. 1 में लिखे तथ्य गलत व आधारहीन होने के कारण अस्वीकार हैं। खेत ख.नं. 538/283 तादादी 10 बीघा वाके रोही लादड़िया जो अप्रार्थी रामकुमारसिंह के कब्जे व काश्त में है तथा मौके पर रिहायशी मकानात उक्त ख.नं. की भूमि में स्थित हैं प्रार्थी को फर्जी व प्रभावशून्य बैनामा के आधार पर कानूनी रूप से खातेदार काश्तकार नहीं माना जा सकता। प्रार्थी इन्द्रसिंह का मौके पर कोई कब्जा व काश्त न तो पहले रहा और ना आज है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में लिखे तथ्य ख.नं. 243 तादादी 19 बीघा, ख.नं. 537/283 तादादी 14 बीघा 5 विश्वा तथा ख.नं. 538/283 तादादी 10 बीघा इस प्रकार कुल 42 बीघा 5 विश्वा वाके रोही लादड़िया स्थित में, प्रार्थी कानूनी रूप से बिना कब्जा होने के कारण मौके पर पत्थरगढी करवाने का अधिकारी नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 3 में लिखे तथ्य वास्तविकता के विपरीत गलत दर्ज होने कारण अस्वीकार हैं। ख.नं. 537/283 व 538/283 तथा ख.नं. 243 के मध्य कभी कोई सींव मे पर नहीं रही है और ना आज है। ख.नं. 538/283 तादादी 10 बीघा में अप्रार्थी रामकुमारसिंह रिहायशी मकानत आदि जिसमें अप्रार्थी मय परिवार सदामत से रिहायश करता चला आ रहा जिससे बखूबी साबित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थन पत्र सीमांकन व पत्थरगढी बाबत कानून पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। यह कि प्रा0 पत्र की मद सं. 4 में दर्ज तमाम कथन बनाव एवं झूठे दर्ज होने के कारण अस्वीकार हैं। ख.नं. 538/283 के दक्षिणी तरफ के खातेदार व पूर्वी पश्चिमी तरफ पड़ने वाले खातेदार पड़ौसियान जो इस प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार हैं जिनव पक्षकार नहीं बनाये जाने के अभाव में कानूनन रूप से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 5 में दर्ज तथ्य व दर्ज अनुतोष प्रार्थी काननून रूप से प्राप्त करने क अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज योग्य है।

अप्रार्थी ने अपने जवाब के विशेष कथन में अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा ख.नं. 538/283 के दक्षिणी तरफ एवं पूर्वी व पश्चिमी तरफ के खेतों के खातेदारों को इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। कानूनन पत्थरगढी व सीमांकन के सम्बन्ध में चारों तरफ के खातेदार आवश्यक पक्षकार हैं। आवश्यक पक्षकार के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। यह कि प्रार्थी द्वारा ख.नं. 538/283 का कब्जा दिलवाये जाने बाबत अनुतोष की मांग की गई कानूनन रूप से धारा 111 एवं 128 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत कब्जे के अभाव में कब्जा नहीं दिलाया जा सकता है। कब्जा बाबत धारा 183 आर.टी.एक्ट का दावा से निराकरण होता है। यह कि ख.नं. 538/283 तादादी 10 बीघा पर कब्जा व रिहायशी मकान अप्रार्थी रामकुमारसिंह का मौके पर चला आ रहा है। रामकुमारसिंह को इस प्रार्थना पत्र की दर्ज अनुतोष के अनुसार कानूनन बेदखल नहीं किया जा सकता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थी इन्द्रसिंह ने अप्रार्थी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.07.2005 को 10 बीघा जमीन खरीदी व कब्जा अप्रार्थी ने प्रार्थी को सम्भलाया। प्रार्थी लगातार ख. नं. 538/283 पर काबिज है। प्रार्थी गांव ख्याली का निवासी है तथा जमीन लादड़िया में स्थित है। अप्रार्थी की शेष जमीन प्रार्थी की जमीन के उतरी दिशा में पड़ती है। अप्रार्थी ने सींव काट कर सीमा के चिन्ह समाप्त कर दिये। हमारे ख.नं. 538/283 की उतरी सीमा की तरफ नाप कर सीमा चिन्ह कायम कर पत्थरगढी की जावे। अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी बहस में जाहिर किया कि अप्रार्थी रामकुमारसिंह प्रार्थी का मामा है। प्रार्थी व अप्रार्थी का सम्बन्ध मामा–भान्जा का है। प्रार्थी ने अपने मामा के फर्जी हस्ताक्षर से रजिस्ट्री करवाई है जबकि प्रार्थी का कभी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थी के प्रा0पत्र का अन्तिम पैरा का अवलोकन फरमावें, पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र के द्वारा कब्जा हासिल करना चाहते हैं। धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट के आधार पर कब्जा नहीं दिलवाया जा सकता है। इसलिए प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। यदि इनका कब्जा है तो कब्जा दिलाने का रिलीफ क्यों आया ? दिनांक 14.06.16 को हुई न्यायिक कार्यवाही में मौका नक्शा व भौतिक रिपोर्ट में वादगत

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

भूमि के मौके पर अप्रार्थी की ढाणी मौजूद है। यदि उक्त भूमि इनकी है तो इनको पहले बेदख
का दावा लाना चाहिए था। वैसे भी जून से नवम्बर तक पत्थरगढी नहीं करायी जा सकती।
प्रार्थना पत्र में खेत के आसपास के खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था जो प्रार्थी द्व
नहीं बनाया गया है। धारा 111, 128 उस भूमि के लिए दायर किया जाता है जहां शान्तिपूर्ण कब
व काश्त हो। इनके द्वारा प्रार्थना पत्र में कब्जा दिलवाने का अनुतोष चाहा गया है जो धारा 1
आरटीए के तहत दावा का मामला है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारि
फरमाया जावे। अभिभाषक प्रार्थी ने पुनः कथन किया कि कब्जे के बिन्दू पर अप्रार्थी का प्रार्थना प
खारिज हो चुका है। अतः एक ही बिन्दू पर पुनः बहस नहीं की जा सकती है तथा ना ही निर्ण
किया जा सकता है। अप्रार्थी के कथनानुसार यदि रजिस्ट्री फर्जी है तो सिविल कोर्ट से कोई रिलीफ
नहीं लिया गया है। कब्जे के सम्बन्ध में रजिस्ट्री में स्पष्ट उल्लेख है तो अप्रार्थी का कब्जा कैसे है
उक्त भूमि में इनकी ढाणी से इन्कार नहीं है। उक्त खसरे का कुल रकबा 14 बीघा 5 विश्वा
जिसमें से 10 बीघा हमने क्रय किया है। हमें कब्जा "Rest of land as in condition of residential
का चाहिए, सम्पूर्ण भूमि का कब्जा दिलाने का नहीं लिखा बल्कि सींव को नष्ट कर जितनी भूमि प
कब्जा किया है, उसका कब्जा दिलाने बाबत अनुतोष चाहा गया है। इनके द्वारा काश्त में बाध
डालने पर क्रिमिनल न्यायालय में कॉस केस दर्ज हुए हैं जिनमें हमें अतिक्रमी नहीं माना बल्कि
अप्रार्थी को अतिक्रमी माना है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं
पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना
पत्र में ग्राम लादड़िया के ख.नं. 538/283 तादादी 10 बीघा की भूमि अपनी खरीदशुदा व खातेदारी
कब्जा काश्त की बताते हुए अंकित किया है कि प्रार्थी ग्राम ख्याली का रहने वाला है व उक्त भूमि
ग्राम लादड़ियां में स्थित है जिसमें अप्रार्थी सं. 1 ने सींव काट सीमा चिन्ह नष्ट कर दिये हैं तथा
सीमाज्ञान करवाने से अप्रार्थी सं. 1 मना कर रहा है जबकि उक्त कृषि भूमि उसी से क्रय की गई
है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के अनुतोष में प्रार्थी व अप्रार्थी खेतों का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी
करवाने एवं कब्जा दिलवाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब में ख.नं. 538/283
में अपनी आवासीय ढाणी बनी हुई होना अंकित करते हुए वादगत कृषि भूमि का कब्जा काश्त प्रार्थी
का नहीं बताया है तथा कब्जा नहीं होने के कारण प्रार्थी को सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने का
अधिकारी नहीं बताया है। जवाब में अप्रार्थी सं. 1 ने यह भी अंकित किया है कि इस सीमाज्ञान के
प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थी को कब्जा नहीं दिलवाया जा सकता। यदि प्रार्थी को कब्जा चाहिए
तो प्रार्थी को बेदखली का वाद धारा 183 के तहत लाना चाहिए था। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज
किया जावे। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम लादड़िया के ख.नं. 538/283 तादादी 10.00
बीघा प्रार्थी इन्द्रसिंह की खातेदारी में अंकित है। नकल नक्शा ग्राम लादड़िया के अनुसार प्रार्थी के
खातेदारी खेत ख.नं. 538/283 के चिपते उत्तरी तरफ अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि ख.नं.
537/283 व 243 स्थित हैं। प्रमाणित नकल फर्द मौका दिनांक 13.03.2016 जिसमें अंकित है कि
ख.नं. 243 व 537/283 के खातेदार रामकुमार पुत्र मालाराम के पुत्रों ने मौके पर पटवारी हल्का को
जरीब चलाने से मना किया जिसमें अप्रार्थी रामकुमार व उपस्थित व्यक्तियों के अंगुठा निशान व
हस्ताक्षर अंकित हैं। प्रमाणित प्रति सीमाज्ञान आवेदन पत्र कमांक 799 के अनुसार पटवारी हल्का को
तहसीलदार, चूरू द्वारा अग्रेषित किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम लादड़िया के

उपखण्ड अधिक
चूरू

अनुसार ख.नं. 243, 537/283 तादादी 19.03, 04.05 बीघा अप्रार्थी सं. 1 रामकुंवार की खातेदारी में अंकित है। छाया प्रति विकय पत्र दिनांक 07.07.2005 के अनुसार ग्राम लादड़िया के ख.नं. 243 व 283 तादादी 19.03 बीघा व 14.05 बीघा के खातेदार रामकुवार पुत्र मालाराम ने ख.नं. 283 तादादी 14.05 बीघा में से दक्षिणी तरफ की पूर्व से पश्चिम 10.00 बीघा भूमि अपने सम्पूर्ण होश हवास में उचित प्रतिफल प्राप्त कर इन्द्रसिंह पुत्र प्रेमसिंह को 70000/– रूपये में विकय की है एवं विकय की गई भूमि समस्त मालिकान हक अधिकार व कब्जा केता को सम्भला दिया जाना अंकित है। विकय पत्र पर केता व विकेता के साथ साथ दो गवाहान के हस्ताक्षर अंकित हैं। वादगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के मध्य चले न्यायिक प्रकरणों से सम्बन्धित एफ.आई.आर. सं. 35/2016 दिनांक 14.06.2016, 38/2016, दिनांक 17.06.2016, अन्तिम रिपोर्ट फार्म दिनांक 25.06.2016, प्रार्थना पत्र रामकुमारसिंह दिनांक 14.06.2016, नक्शा मौका घटना स्थल दिनांक 14.06.2016, फर्द मौका घटना स्थल दिनांक 14.06.2016, बयान रामकुमारसिंह, विजयसिंह, दिनांक 14.06.2016 व बयान सिरेकंवर दिनांक 16.06.2016, प्रार्थना पत्र इन्द्रसिंह पुत्र प्रेमसिंह दिनांक 17.06.16, नक्शा मौका दिनांक 19.06.2016, फर्द मौका दिनांक 19.06.2016 व बयान गवाह इन्द्रसिंह, महेन्द्रसिंह दिनांक 19.06.2016, बयान रघुसिंह, प्रभूसिंह, भादरसिंह, रामनिवास आदि की छाया प्रतियों का भी अवलोकन किया गया। उपरोक्त न्यायिक प्रकरणों के दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रश्नगत भूमि के कब्जे व काश्त को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के मध्य विवाद होना परिलक्षित होता है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मौका निरीक्षण एवं मूल प्रार्थना पत्र की बहस में उक्त वादगत कृषि भूमि में अप्रार्थी सं. 1 की आवासीय ढाणी बनी होना स्वीकार करते हुए ढाणी को छोड़कर 10 बीघा भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी तथा अप्रार्थी ने सींव काटकर जितनी भूमि पर कब्जा किया है उसका कब्जा दिलवाने का कथन किया है। वकील अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि प्रार्थी पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र की आड़ में कब्जा प्राप्त करना चाहता है क्योंकि वादगत कृषि भूमि का कब्जा कभी भी प्रार्थी के पास नहीं रहा है। वादगत भूमि में अप्रार्थी सं. 1 की ढाणी बनी हुई है जिसमें वह परिवार सहित निवास करता है। प्रार्थी ने वादगत खेत के आसपास के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है तथा कब्जा दिलवाने का अनुतोष चाहा है। इसलिए प्रार्थी को पहले बेदखली का दावा लाना चाहिए था। नियमानुसार धारा 111, 128 के तहत अनुतोष शान्तिपूर्ण कब्जे की भूमि के सम्बन्ध में ही प्राप्त किया जा सकता है। दिनांक 14.06.16 को प्राप्त नक्शा मौका से स्पष्ट है कि मौके पर ढाणी मौजूद है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि है जो उसने अप्रार्थी सं. 1 से जरिये विकय पत्र कय कर कब्जा प्राप्त किया है परन्तु उक्त भूमि में मौके पर अप्रार्थी सं. 1 की आवासीय ढाणी जिसमें मकान, झोंपड़ा, बाथरूम एवं कुण्ड आदि बने हुए हैं। प्रश्नगत कृषि भूमि में मौके पर मौजूद अप्रार्थी सं. 1 की ढाणी बने होने का तथ्य प्रार्थी ने स्वयं स्वीकार किया है एवं न्यायिक प्रकरण में पेश नक्शा व फर्द मौका दिनांक 14.06.16 एवं 19.06.16 के अवलोकन से भी ढाणी बनी होने के तथ्य की पुष्टि होती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल नक्शा के अनुसार प्रार्थी के खातेदारी खेत ख.नं. 538/283 तादादी 10.00 बीघा का नक्शा पृथक बना हुआ है जिसका सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी उक्त नक्शे के आधार पर ही करवाया जाना है परन्तु उक्त खसरा नम्बर में अप्रार्थी सं. 1 की आवासीय ढाणी बनी होने से नक्शे के अनुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाई जानी सम्भव प्रतीत नहीं होती क्योंकि

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

सीमाज्ञान व पत्थरगढी के आधार पर जितनी भूमि ढाणी में मौजूद है उतनी भूमि किसी
खातेदार की खातेदारी भूमि में से इस प्रकार के प्रार्थना पत्र के आधार पर नहीं दिलवाई जा सक
उक्त भूमि में ढाणी का मौजूद होना प्रार्थी ने स्वयं स्वीकार किया है जिससे उक्त ढाणी की भूमि
कब्जा भी प्रार्थी का प्रतीत नहीं होता। प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान
पत्थरगढी करवाने का अधिकार अवश्य है परन्तु इस प्रकरण में प्रार्थी ने सीमाज्ञान व पत्थरगढी
साथ–साथ कब्जा दिलवाने का भी अनुतोष चाहा है जो कि इस प्रकार की सम्मरी प्रोसीडिंग
प्रार्थना पत्र के आधार पर दिलवाया जाना सम्भव नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया कब्जे का अनु
दावा के माध्यम से ही प्राप्त किया जाना सम्भव है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट
कि सीमाज्ञान व पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा पड़ौसी खातेदारों को भी पक्षकार
बनाया गया है। इस प्रकार प्रश्नगत कृषि भूमि में मौके पर अप्रार्थी सं. 1 की आवासीय ढाणी मौ
होने, पड़ौसी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया जाने एवं प्रार्थना पत्र में कब्जे का अनुतोष चाहे ज
से प्रार्थी सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने का अधिकारी नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–
खारिज किया जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनि
1956 का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 21.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुना
गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चू